# *स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय*

## मांग संख्या 40

## परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2000-2001 | | | संशोधित 2000-2001 | | | बजट 2001-2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 3520.00 | 21.47 | 3541.47 | 3200.00 | 21.37 | 3221.37 | 4035.05 | 22.28 | 4057.33 |
| *पूंजी* | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | *174.95* | ... | *174.95* |
| **जोड़** | | **3520.00** | **21.47** | **3541.47** | **3200.00** | **21.37** | **3221.37** | **4210.00** | **22.28** | **4232.28** |
| 1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | 2251 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.20 | 3.20 |
| **परिवार कल्याण** | | | | | | | | | | |
| 2. निदेशन और प्रशासन | 2211 | 10.10 | 4.00 | 14.10 | 10.70 | 4.00 | 14.70 | 11.70 | 4.20 | 15.90 |
| | 3601 | 87.00 | ... | 87.00 | 87.00 | ... | 87.00 | 91.80 | ... | 91.80 |
| | 3602 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 |
| **जोड़-निदेशन और प्रशासन** | | **102.10** | **4.00** | **106.10** | **102.70** | **4.00** | **106.70** | **108.50** | **4.20** | **112.70** |
| **परिवार कल्याण सेवाएं** | | | | | | | | | | |
| 3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | 2211 | 2.30 | ... | 2.30 | 2.30 | ... | 2.30 | 3.50 | ... | 3.50 |
| | 3601 | 852.50 | ... | 852.50 | 851.50 | ... | 851.50 | 988.30 | ... | 988.30 |
| | 3602 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.70 | ... | 2.70 |
| | *जोड़* | *857.00* | ... | *857.00* | *856.00* | ... | *856.00* | *994.50* | ... | *994.50* |
| 4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 2211 | 0.40 | ... | 0.40 | 0.40 | ... | 0.40 | 0.80 | ... | 0.80 |
| | 3601 | 53.60 | ... | 53.60 | 53.60 | ... | 53.60 | 61.20 | ... | 61.20 |
| | 3602 | 4.50 | ... | 4.50 | 4.50 | ... | 4.50 | 5.50 | ... | 5.50 |
| | *जोड़* | *58.50* | ... | *58.50* | *58.50* | ... | *58.50* | *67.50* | ... | *67.50* |
| 5. पुनर्प्रजननता और शिशु स्वास्थ्य परियोजना | 2211 | 249.50 | ... | 249.50 | 292.50 | ... | 292.50 | 603.95 | ... | 603.95 |
| | 3601 | 696.50 | ... | 696.50 | 503.50 | ... | 503.50 | 519.00 | ... | 519.00 |
| | 3602 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| | *जोड़* | *951.00* | ... | *951.00* | *801.00* | ... | *801.00* | *1126.95* | ... | *1126.95* |
| 6. कोल्ड चेन उपस्करों की अधि प्राप्ति | 2211 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.20 | ... | 0.20 | ... | ... | ... |
| | 3601 | 4.00 | ... | 4.00 | 0.20 | ... | 0.20 | ... | ... | ... |
| | 3602 | 0.50 | ... | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *5.00* | ... | *5.00* | *0.40* | ... | *0.40* | ... | ... | ... |
| 7. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो का उन्मूलन | 2211 | 15.00 | ... | 15.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 13.10 | ... | 13.10 |
| | 3601 | 30.00 | ... | 30.00 | 24.00 | ... | 24.00 | 40.00 | ... | 40.00 |
| | 3602 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 0.90 | ... | 0.90 |
| | *जोड़* | *46.00* | ... | *46.00* | *35.00* | ... | *35.00* | *54.00* | ... | *54.00* |
| 8. मातृत्व लाभ योजना | 2211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72.00 | ... | 72.00 |
| **जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं** | | **1917.50** | **...** | **1917.50** | **1750.90** | **...** | **1750.90** | **2314.95** | **...** | **2314.95** |
| 9. परिवहन | 2211 | 0.30 | 0.22 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.52 | 0.25 | 0.22 | 0.47 |
| | 3601 | 69.70 | ... | 69.70 | 69.70 | ... | 69.70 | 62.50 | ... | 62.50 |
| | 3602 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.25 | ... | 0.25 |
| **जोड़-परिवहन** | | **70.20** | **0.22** | **70.42** | **70.20** | **0.22** | **70.42** | **63.00** | **0.22** | **63.22** |
| 10. मुआवजा | 2211 | 1.80 | ... | 1.80 | 1.80 | ... | 1.80 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | 3601 | 98.00 | ... | 98.00 | 98.00 | ... | 98.00 | 108.50 | ... | 108.50 |
| | 3602 | 1.20 | ... | 1.20 | 1.20 | ... | 1.20 | 2.00 | ... | 2.00 |
| **जोड़-मुआवजा** | | **101.00** | **...** | **101.00** | **101.00** | **...** | **101.00** | **112.50** | **...** | **112.50** |
| **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** | | | | | | | | | | |
| 11. सूचना, शिक्षा और संचार | 2211 | 17.00 | 2.00 | 19.00 | 17.00 | 2.00 | 19.00 | 31.50 | 2.00 | 33.50 |
| | 3601 | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 | ... | ... | ... |
| | 3602 | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *25.50* | *2.00* | *27.50* | *25.50* | *2.00* | *27.50* | *31.50* | *2.00* | *33.50* |
| 12. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन | 2211 | 29.20 | 12.25 | 41.45 | 27.20 | 12.15 | 39.35 | 37.95 | 12.66 | 50.61 |
| | 3601 | 51.35 | ... | 51.35 | 50.35 | ... | 50.35 | 71.00 | ... | 71.00 |
| | 3602 | 0.55 | ... | 0.55 | 0.55 | ... | 0.55 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | *जोड़* | *81.10* | *12.25* | *93.35* | *78.10* | *12.15* | *90.25* | *109.95* | *12.66* | *122.61* |
| 13. स्वास्थ्य गाइड योजना | 2211 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.03 | ... | 0.03 | 0.04 | ... | 0.04 |
| | 3601 | 4.71 | ... | 4.71 | 4.71 | ... | 4.71 | 4.45 | ... | 4.45 |
| | 3602 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| | *जोड़* | *4.75* | ... | *4.75* | *4.75* | ... | *4.75* | *4.50* | ... | *4.50* |
| **जोड़-शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** | | **111.35** | **14.25** | **125.60** | **108.35** | **14.15** | **122.50** | **145.95** | **14.66** | **160.61** |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2000-2001 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | संशोधित 2000-2001 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | बजट 2001-2002 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *14. अन्य सेवाएं और आपूर्ति* | | | | | | | | | | |
| 14.01 प्रसवोत्तर कार्यक्रम | 2211 | 2.10 | ... | 2.10 | 2.10 | ... | 2.10 | 3.00 | ... | 3.00 |
| | 3601 | 107.00 | ... | 107.00 | 107.00 | ... | 107.00 | 129.00 | ... | 129.00 |
| | 3602 | 1.90 | ... | 1.90 | 1.90 | ... | 1.90 | 3.00 | ... | 3.00 |
| | *Total* | *111.00* | *...* | *111.00* | *111.00* | *...* | *111.00* | *135.00* | *...* | *135.00* |
| 14.02 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण | 2211 | 2.17 | ... | 2.17 | 2.17 | ... | 2.17 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 3601 | 104.20 | ... | 104.20 | 91.20 | ... | 91.20 | 113.00 | ... | 113.00 |
| | 3602 | 2.34 | ... | 2.34 | 2.34 | ... | 2.34 | 3.00 | ... | 3.00 |
| | *Total* | *108.71* | *...* | *108.71* | *95.71* | *...* | *95.71* | *117.00* | *...* | *117.00* |
| 14.03 वाणिज्यिक वितरण | 2211 | 95.00 | ... | 95.00 | 86.00 | ... | 86.00 | 114.30 | ... | 114.30 |
| 14.04 संभारतंत्र सुधार | 2211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.00 | ... | 9.00 |
| 14.05 क्षेत्र परियोजनाएं | 2211 | 125.00 | ... | 125.00 | 100.00 | ... | 100.00 | 130.00 | ... | 130.00 |
| | 3601 | 50.00 | ... | 50.00 | 80.00 | ... | 80.00 | 120.00 | ... | 120.00 |
| | 3602 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *Total* | *180.00* | *...* | *180.00* | *180.00* | *...* | *180.00* | *250.00* | *...* | *250.00* |
| 14.06 बंध्यीकरण बिस्तर | 3601 | 1.64 | ... | 1.64 | 1.64 | ... | 1.64 | 1.30 | ... | 1.30 |
| | 3602 | 0.06 | ... | 0.06 | 0.06 | ... | 0.06 | 0.05 | ... | 0.05 |
| | *Total* | *1.70* | *...* | *1.70* | *1.70* | *...* | *1.70* | *1.35* | *...* | *1.35* |
| 14.07 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान | 2211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.69 | ... | 1.69 |
| 14.08 स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमी | 2211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.35 | ... | 1.35 |
| | *Total* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *1.35* | *...* | *1.35* |
| 14.09 बकाया | 3601 | 292.00 | ... | 292.00 | 260.00 | ... | 260.00 | 380.00 | ... | 380.00 |
| 14.10 अन्य योजनाएं | 2211 | 17.44 | ... | 17.44 | 2.44 | ... | 2.44 | 1.27 | ... | 1.27 |
| 14.11 नए उपक्रम-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति | 2211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.24 | ... | 34.24 |
| | *Total* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *34.24* | *...* | *34.24* |
| 14.12 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाएं परियोजना का नवीकरण | 2211 | 60.00 | ... | 60.00 | 55.00 | ... | 55.00 | 70.00 | ... | 70.00 |
| 15. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा | 2211 | 186.66 | ... | 186.66 | 98.66 | ... | 98.66 | ... | ... | ... |
| सिक्किम के लिए परियोजनाओं/ | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 174.95 | ... | 174.95 |
| स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था | 3601 | 165.34 | ... | 165.34 | 176.34 | ... | 176.34 | ... | ... | ... |
| | 4552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 174.95 | ... | 174.95 |
| | *Total* | *352.00* | *...* | *352.00* | *275.00* | *...* | *275.00* | *349.90* | *...* | *349.90* |
| **जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां** | | **1217.85** | **...** | **1217.85** | **1066.85** | **...** | **1066.85** | **1465.10** | **...** | **1465.10** |
| 16. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल | 3606 | ... | 48.00 | 48.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण* | *3606* | *...* | *-48.00* | *-48.00* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| सहायता सामग्री और उपस्कर | *निवल* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| ***कुल-जोड़*** | | ***3520.00*** | ***21.47*** | ***3541.47*** | ***3200.00*** | ***21.37*** | ***3221.37*** | ***4210.00*** | ***22.28*** | ***4232.28*** |

| **ग. आयोजना परिव्यय*** | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. परिवार कल्याण | 22211 | 3520.00 | ... | 3520.00 | 3200.00 | ... | 3200.00 | 3860.10 | ... | 3860.10 |
| 2. सचिवालय - समाजिक सेवाएं | 22251 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 349.90 | ... | 349.90 |
| | *Total* | *3520.00* | *...* | *3520.00* | *3200.00* | *...* | *3200.00* | *4210.00* | *...* | *4210.00* |
| **इसमें मांग संख्या 81 का निर्माण-परिव्यय भी शामिल है।* | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 का लक्ष्य शताब्दी के अन्त तक प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर 21 प्रति हजार जनसंख्या, अशोधित मृत्यु दर 9 प्रति हजार जनसंख्या और वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत होने के साथ इकाई की निवल प्रजनन दर प्राप्त करना है। आठवीं योजना दस्तावेज में इस लक्ष्य को 2011-2016 ईस्वी तक की अवधि में प्राप्त कर लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**: इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें 3.20 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

2. **निदेशन और प्रशासन**: परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक परिवार कल्याण एकक की स्वीकृति दी गई है। राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो राज्य स्तर पर परिवार कल्याण संगठन के एक भाग के रूप में विद्यमान

है। वर्ष 2001-2002 के.ब.अ. में 124.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 11.50 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

3. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं:**

3.1 **ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र:** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन और प्रसूति एंव शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संबंध में सभी ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी मंजूरी दे दी गई है। देश में ऐसे 5435 केन्द्र कार्य कर रहे है। 1.4.1980 तक स्वीकृत ब्लाक स्तर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसमें सम्मिलित हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए ब.अ. में इन 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को चलाने/इनके रख-रखाव के लिए 430 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए 43 करोड़ रुपए की राशि शामिल है तथा इसे बजट में 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' में अलग से शामिल किया गया है।

3.2 **ग्रामीण उप-केन्द्र:** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख- रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले 97,557 उप केन्द्रों के लिए बजट अनुमान 2001-2002 में 655 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है। कुल मिलाकर 137271 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव विकास के पहलकदमी उपाय के तहत ग्रामीण उप-केन्द्रों को सुदढ़ करने हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

निर्धारित कुल परिव्यय में से 67.50 करोड़ रुपए की राशि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए है और इसे बजट में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 'एकमुश्त व्यवस्था' में अलग से शामिल किया गया है।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं:** शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। वर्तमान में 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 871 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन सेवाओं के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 7.50 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

5 **प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम:** परिवार कल्याण कार्यक्रम की कारगरता में सुधार करने के लिए, माता और शिशु देखभाल के लिए कार्यक्रम को वर्ष 1997 में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना वर्तमान में शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रलापों कों सुदृढ़ और विस्तृत करने के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई वर्तमान सेवाओं को सुदृढ़ और उनकी पुनःस्थापना करेगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से महिलाओं तथा बच्चों विशेषकर गरीब तथा वंचित लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाकर तथा शैशव, शिशु तथा मातृत्व मृत्युदर और रुग्णता में कमी करके परिवार कल्याण कार्यक्रम की पूरी न हुई आवश्यकताओं को पूरा करना है:-

(क) सेवाओं के पैकेज के अनुसार आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए चल रही शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को बनाए रखना तथा सुदृढ़ बनाना;

(ख) नीति संबंधी परिवर्तन के कार्यान्वयन में परिवार कल्याण प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना।

(ग) प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आवश्यक पैकेज के अन्तर्गत सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता को सुदृढ़ करना और

(घ) निरन्तर वित्तपोषण के लिए कार्यनिष्पादन आधारित कसौटी पर परियोजना कार्यान्वयन में सुधार लाना।

बं.अ. 2001-2002 में इस परियोजना के लिए 1252 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खर्च किए जाने के लिए 125.05 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल की गई है।

7. **प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो उन्मूलन:** वर्ष 2001-2002 में चालू प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदढ़ करने, जो प्रतिजन सहित सभी पात्र शिशुओं में से कम से कम 80 प्रतिशत भाग को कवर करने के उद्देश्य से शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के संघटक के रूप वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे है तथा वर्ष 2000 के अंत तक पोलियो का एक भी मामला प्रकाश में न आने के लिए चालू पल्स पोलिया प्रतिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु, 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 60 करोड़ रुपए की इस व्यवस्था में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है तथा यह बजट में 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक मुश्त व्यवस्था' में अलग से शामिल की गई है।

8. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना:** ग्रामीण विकास विभाग से परिवार कल्याण विभाग को 2001-2002 के दौरान कार्यान्वयन हेतु अन्तरित की गई इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 8 करोड़ रुपए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

9. **परिवहन:** इस तथ्य को मानते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए पैट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 20,000/- रुपए प्रति वर्ष की दर से और डीजल से चलने वाले प्रत्येक वाहनों के लिए 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से सहायता दी जाती है। प्रारंभिक स्तर पर गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ए.एन.एम. को मोपेड प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा यूएनएफपीए परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत एम्बुलेसें भी मुहैया करवाता है। वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 7.80 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

10. **क्षतिपूर्ति:** बंध्य विधियों (बन्ध्यीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों और परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये पुरूष नसबन्दी/स्त्री नसबन्दी/लूप लगवाने के प्रत्येक मामले के लिए क्रमशः 180/200/16 रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना को एन.डी.सी. की जनसंख्या सम्बन्धी सीमिति की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है और यह वर्ष 1995-96 से प्रभावी है। संशोधित योजना के अन्तर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अधीन व्यय के विभिन्न शीर्षों के बीच क्षति पूर्ति की राशि को बांटने में लचीलापन रख्ते हैं। इन राशियों को स्त्री नसबन्दी के प्रत्येक मामले में 300 रुपए और पुरूष नसबन्दी के प्रत्येक मामले के लिए 250 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए 125 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, इसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यवस्थित 12.50 करोड़ रुपए की राशि 'उतर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

11. **सूचना, शिक्षा और संचार:** सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वयन आर.सी.एच. तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है। 15 अक्तूबर, 1997 को शुरु किए गए प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरह ही एक बहुस्तरीय आई.ई.सी. नीति की रुपरेखा तैयार की गई है। कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित नीतियों में प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं को प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर फिल्में बनाने और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी मामलों पर पारस्परिक पेनल विचार-विमर्श करने के लिए व्यवसायिक एजेन्सियों की सेवाएं लेने, और जिला साक्षरता समिति आदि के माध्यम से जिला स्तर पर पूर्व साक्षरता अभियान को जोड़ना शामिल है। इन कार्यकलापों को केन्द्र में सूचना शिक्षा तथा संचार प्रभाग द्वारा समन्वय तथा मानीटर किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि 125 करोड़ रुपए के प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य योजना में आई.ई.सी. कार्यकलापों के लिए की गई व्यवस्था के अतिरिक्त है। 35 करोड़ रुपए की राशि की इस व्यवस्था में से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 3.50 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

12. **प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन:** परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त प्रशिक्षित एवं शिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता

पर बल दिया ही जाना चाहिए। इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. और एम.पी.डब्लू. प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अंतरराष्ट्रीय जनसंस्था विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए 122 करोड़ रुपए रखने की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 12.05 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

13. **स्वास्थ्य गाइड स्कीमः** ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि आम बीमारियों की हालत में लोगों को सहायता दी जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, प्रति 1000 की जनसंख्या या एक गांव के लिए स्वास्थ्य गाइडों का चयन ग्रामीण समुदाय द्वारा ही किया जाता है औरं प्रतिमाह 50/- रुपए का मानदेय दिया जाता है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 0.50 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

14. **अन्य सेवाएं और आपूर्तियांः**

14.01. **प्रसवोत्तर कार्यक्रमः** प्रसवोत्तर कार्यक्रम जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसूति केन्द्र अस्पताल आधारित माध्यम है, के अन्तर्गत जिला स्तर पर 550 प्रसवोत्तर केन्द्र और उप-जिला स्तर पर 1012 प्रसवोत्तर केन्द्र काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती माताओं को प्रसव-पूर्व, प्रसवकालीन व प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना है और प्रारम्भिक अवस्था ग्रीवा कैसंर का निदान करने के अलावा परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं प्रदान करना भी है। इस योजना के लिए वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 15 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

14.02 और 14.03 **गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरणः** इस तथ्य को जानते हुए कि पुनःप्रजनन आयु सीमा में अधिकाधिक संख्या में युवा-युगल प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बंध्यीकरण जैसी परिवार नियोजन की पद्धतियों को अपनाने की वकालत नहीं की जा सकती। युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए स्वाने की गोलियां, निरोध, कोपर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधक की पेशकश की गई है। पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्कैलपेल रहित नसबन्दी को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

अब तक सामाजिक विपणन कार्यक्रम पर जोरदार शहरी प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम के लाभों को गांवों, गन्दी बस्तियों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए तथा गर्भनिरोधकों, ओ.आर.एस. तथा सैनीटरी नैपिकन के उपयोग को बढ़ाने के लिए भिडं, मुरैना और ग्वालियर के जिलों में प्रायोगिक आधार पर सामाजिक विपणन परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत, बेरोजगार युवाओं को जिनका सामाजिक विकास की ओर रूझान है और जिन्हें ग्रामीण समुदाय का ज्ञान है, को ब्लाक क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा गर्भनिरोधकों का वितरण और संवर्धन में लगाया जाएगा।

वर्ष 2001-2002 के दौरान निःशुल्क और सामाजिक विपणन दोनों के अन्तर्गत गर्भ-निरोधकों की आपूर्ति हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत 268.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 26.85 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

14.04 **संभार-तंत्र सुधारः** राज्यों में दवाओं, टीका-द्रव्यों, गर्भ-निरोधकों की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण की संभरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्तव्यवस्था" के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

14.05 **क्षेत्रीय परियोजनाएंः** भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य-पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एक समान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता। देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं करने की पद्धति में सुधार करना ताकि राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके, क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक विदेशी सहायता द्वारा शुरु की गई हैं इस योजना के अन्तर्गत, भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रुप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

14.06 **बन्ध्यीकरण बिस्तरः** इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान को प्रति बिस्तर 4500 रुपए मासिक की दर से अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि प्रति वर्ष प्रति बिस्तर न्यूनतम 75/60 ट्यूबक्टोमीज क्रमशः सरकार/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाएं। वर्तमान में इस प्रकार की कुल 3115 शैय्या प्रचालन में हैं। वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

14.07 **अन्तर्राष्ट्रीय अंशदानः** इस योजना के अंतर्गत यूएनएफपीए, आईसीओएमपी, इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के अंशदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

14.08 **"स्कैलपेल-सहित वैसेक्टॉमीः** पुरुषों के लिए गर्भनिरोध हेतु सर्वाधिक कारगार तरीका है। इस परियोजना के अन्तर्गत "स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमी" की तकनीक में 1500 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

14.09 **बकाया राशिः** परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यन्वित करने के लिए राज्य सरकारों को देय बकाया राशियों का निपटान करने के लिए 380.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

14.10 **अन्य स्कीमेंः** वर्ष 2001-2002 के ब.अ. में 1.27 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है जो बैठकों/सम्मेलनों के लिए तथा हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के स्वतःनाशक सिरिंज परियोजना तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए सहायता देने हेतु सांकेतिक व्यवस्था है।

14.11 **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-नए उपक्रमः** जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या निति 2000 में विहित है, समुदाय प्रोत्साहन योजना, परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना, आदि जैसे नए उपक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 38.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से, 3.80 करोड़ रुपए की राशि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए रखी गयी है।

14.12 **उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरणः** 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पत्ति सुरक्षा दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.एड. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम को एक करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1992-93 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के लिए 1999-2000 के ब.अ. में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

15. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्थाः** परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

16. **सहायता सामग्री और उपस्करः** ये अनुमान यूनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और मुंह से पिलाई जाने वाली दवाईयों (ओरल पिल्स) के लिए वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित है।